



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10432

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1221 वर्ष 2026

राज सिंह @ छोटेआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद पति तिवारी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री आनंद पति तिवारी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 646 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - औरैया, जिला - औरैया में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में डेढ़ दिन से अधिक की देरी हुई है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह असत्य फँसाने का स्पष्ट मामला है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मृतक ने आवेदक को उसके साथ मदिरापान करने के लिए बुलाया और आवेदक ने ऐसा करने से मना कर दिया, बल्कि उसने कहा कि पहले उसका पैसा वापस करे, तभी वह उसके साथ मदिरापान करेगा, इस पर विवाद हुआ और आवेदक ने मृतक को धक्का दे दिया बताया जाता है, जो छत से लगभग 2-3 फुट नीचे पड़ोसी मकान की छत पर जा गिरा। इस कारण उसकी मृत्यु हो गई।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि यह अचानक उत्तेजना का मामला है और प्रकरण आपराधिक मानव-वध की श्रेणी में आ सकता है जो हत्या नहीं है। अतः आवेदक जमानत का अधिकारी है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक दिनांक 4.10.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है।
8. "दोष सिद्ध होने तक निर्दोषिता की धारणा" का सुविदित सिद्धांत जमानत को नियम के रूप में और कारावास को अपवाद के रूप में स्थापित करता है।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध को कारित करने का आरोप है, जब तक कि उचित संदेह से परे अपराध स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी के भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पुनः प्रतिपादित किया गया है।

10. उपर्युक्त मत को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के मामले में पुनः इस बात पर बल दिया है कि यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए, को नहीं भुलाया जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।
11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराती हो।
12. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब तथा यह अचानक उत्तेजना का मामला होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय इस मत का है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
13. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - राज सिंह @ छोटे को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 16 जनवरी, 2026 विकास वर्मा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"